भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1158

जिसका उत्तर 11 दिसम्बर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

यूपीआई धोखाधड़ी के मामले

1158. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में यूपीआई धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार यूपीआई प्लेटफार्म पर कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करने और धोखाधड़ी की गतिविधियों को रोकने के लिए यूपीआई सेवा प्रदाताओं और वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में यूपीआई धोखाधड़ी के पीड़ितों को दिए जा रहे वित्तीय मुआवजे अथवा सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई धोखाधड़ी मामलों का समाधान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) ग्राहक के मोबाइल नंबर और उसके डिवाइस के बीच मज़बूत डिवाइस बाइंडिंग, (ii) दो स्तरीय प्रमाणीकरण का उपयोग, (iii) यूपीआई एप में ऐसी सुविधाएं जो लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान एप पर ही ग्राहक को सूचना प्रदान करता है, (iv) ग्राहक के खाते से डेबिट किए जाने की दैनिक सीमा और (v) प्रयोग के मामलों की सीमा और नियंत्रण निर्धारित करना जिसका जालसाजों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई सभी बैंकों को धोखाधड़ी कम करने के लिए लेनदेन के संबंध में सतर्क रहने और उसे अस्वीकार करने के लिए धोखाधड़ी निगरानी समाधान निःशुल्क उपलब्ध कराता है, बैंकों को जोखिम अंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग आधारित मॉडलों का उपयोग करता है। एनपीसीआई विभिन्न सरकारी विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ समन्वय करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (आई4सी) और साइबरसेफ (आसूचना ब्यूरो) जैसे प्लेटफॉर्मों को एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) उपलब्ध कराता है, जो दर्ज किए गए टिकट के संबंध में त्वरित लाभार्थी ब्यौरा प्रदान करता है, जिससे विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) और बैंकों को सहायता प्राप्त होती है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर अपराध से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का सृजन किया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को चौबिसों घंटे और सातों दिन साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करने की सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न साइबर अपराधों के संबंध में विविध प्लेटफॉर्मों पर सोशल मीडिया आधारित साइबर जागरूकता अभियान के साथ-साथ हर माह के पहले बुधवार को "साइबर जागरूकता दिवस" मनाया जाता है। आरबीआई ने वेब-आधारित भुगतान-संबंधी धोखाधड़ी रिपोर्टिंग समाधान, केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर), का परिचालन भी आरंभ किया है।

(घ): आरबीआई ने अनधिकृत/धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहक की देयताओं को सीमित करने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 6 जुलाई, 2017 और 14 दिसंबर, 2017 के परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के डिजिटल लेनदेन में ग्राहक की सीमित देयता निर्धारित करने के संबंध में मानदंड का उल्लेख किया गया है।

*****